

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 243/2023/ सराफैरसी

भारतीय स्टेट बैंक रासमेक, प्लॉट नं.-1, ब्लॉक -सी, प्रथम तल सेंद्रल कॉमर्शियल एरिया, परशुराम चौराहा के पास उदयपुर राजस्थान-313001

बनाम

.....प्रार्थी

मैसर्स कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर 402-ए, मुख्य रोड, पुराने सेटेलाईट हॉस्पिटल के पास हिरण मगरी, सेक्टर -4, उदयपुर राजस्थान-313002

प्रोपराईटर -

श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मांगी लाल जैन प्लॉट नं.-15, सूर्या नगर, खसरा नं.-297 से 299 राजस्व गाँव सविना, उदयपुर राजस्थान-31300

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री रामनिवास स्वामी अधिकृत बैंक

आदेश

दिनांक 08/01/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 23.00 लाख /- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद ((1) स्टोक, बुक डेब्ट्स एवं प्राप्य आदि का दृष्टिबंधक। (2) श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मांगी लाल जैन के नाम साम्यिक बंधक सम्पत्ति जो प्लॉट नं.-15, राजस्व गाँव सविना, खसरा नं.-297 से 299 उदयपुर राजस्थान-313001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर -प्लॉट नं.-14, दक्षिण -अन्य भूमि, पूर्व -रोड 30 फीट, पश्चिम -प्लॉट नं.-16) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 07.08.2023 तक 20,30,705.33/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।


M
जिला कलक्टर
उदयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 23.00लाख /-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 07.08.2023 तक 20,30,705.33/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (1) स्टोक, बुक डेब्ट्स एवं प्राप्य आदि का दृष्टिबंधक । (2) श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मांगी लाल जैन के नाम साम्यिक बंधक सम्पत्ति जो प्लॉट नं.-15, राजस्व गाँव सविना, खसरा नं.-297 से 299 उदयपुर राजस्थान-31300 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर -प्लॉट नं.-14, दक्षिण -अन्य भूमि, पूर्व -रोड 30 फीट, पश्चिम -प्लॉट नं.-16) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर